रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24102024-258218
CG-DL-E-24102024-258218

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4266] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 23, 2024/कार्तिक 1, 1946
No. 4266] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 23, 2024/KARTIKA 1, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4640(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, येदशी रामलिंग घाट वन्यजीव अभयारण्य, महाराष्ट्र के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 1751 (अ), तारीख 31 मई, 2017 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकेगी;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना का.आ. संख्यांक 1751(अ), तारीख 31 मई, 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 1751 (अ), तारीख 31 मई, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 और पैरा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखें जाएंगे, अर्थात्:-

"**5. मानीटरी समिति.** – केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर एक मनीटरी समिती का गठन करेगी, अर्थात्: -

(i)	जिला कलेक्टर, उस्मानाबाद	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	जिला परिषद, उस्मानाबाद का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(iii)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में समय-समय पर नामनिर्दिष्ट किया जाता है।	सदस्य;
(iv)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ को प्रत्येक तीन वर्ष में समय-समय पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(v)	प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य, पदेन;
(vi)	महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य-सचिव या सदस्य	सदस्य, पदेन;
(vii)	ज्येष्ट नगर नियोजन अधिकारी	सदस्य, पदेन;
(viii)	वन और पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(ix)	प्रभागीय वन अधिकारी, उस्मानाबाद	सदस्य सचिव, पदेन।''

6. मानीटरी समिति के कार्य:- (1) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची मे सम्मिलित है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन मे आते हैं, सिवाय इसके पैर 4 के अधीन सारणी मे यथानिर्दिष्ट प्रतिसिद्ध क्रियाकलापों के मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या यथास्थिति, राज्य पर्यावरण समाघात प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(2) उन क्रियाकलापों, जो उप पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथानिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जायेगी और उसे सम्बद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) मानीटरी समिति के सदस्य सचिव या कलेक्टर या उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाईल करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) मानीटरी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, औद्योगिक संगमों या पणधारियों के प्रतिनिधि को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(5) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध III** में निर्दिष्ट निदर्शन पत्र में प्रस्तुत करेगी।

IndiaCode

(6) केंद्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मानीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकेगी, जैसा वह उचित समझे।"

[फा. सं. 25/11/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक ''जी''

टिप्पण.-मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1751(अ) तारीख 31 मई, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2024

S.O. 4640(E).—WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Yedshi Ramling Ghat Wildlife Sanctuary, Maharashtra in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1751 (E), dated the 31st May, 2017;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 1751 (E), dated the 31st May, 2017;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1751(E), dated the 31st May, 2017, namely:-

In the said notification, for paragraphs 5 and 6, the following paragraph shall be respectively substituted, namely: -

"5. **Monitoring Committee**. - (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee consisting of the following persons, namely:-

(i)	District Collector, Osmanabad	– Chairman, *ex officio*;
(ii)	A representative of Zilla Parishad, Osmanabad	– Member, *ex officio*;
(ii)	A representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Maharashtra from time to time every three years.	– Member;
(iv)	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra from time to time every three years.	– Member;
(v)	The Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board	– Member, *ex officio*;
(vi)	Member-Secretary or Member of the Maharashtra State Biodiversity Board	– Member, *ex officio*;
(vii)	The Senior Town Planning Officer	– Member, *ex officio*;
(viii)	A representative of Department of Forest and Environment, Government of Maharashtra	– Member, *ex officio*;
(ix)	Divisional Forest Officer, Osmanabad	–Member-Secretary *ex officio*."

6. Functions of the Monitoring Committee. – (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from Department concerned, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in **Annexure III**.

(6) The Central Government may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.".

[F. No. 25/11/2015-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1751(E), dated the 31st May, 2017.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.10.24 22:22:52 +05'30'